भारत संघ और अन्य

बनाम

एम. सेल्वाकुमार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 858/2017)

24 जनवरी, 2017

[रंजन गोगोई और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 14 और 16-सिविल सेवा परीक्षा-सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करना-ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या 7 से और नहीं बढ़ाना-चाहे वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो। अभिनिर्धारित किया: अनुच्छेद 16 दो प्रकार के आरक्षण का प्रावधान करता है अर्थात ऊर्ध्वाधर/सामाजिक आरक्षण (जैसा कि अनुच्छेद 16 (4) में प्रदान किया गया है) और क्षैतिज आरक्षण (जैसा कि अनुच्छेद 16 (**1**) में प्रदान किया गया है)-शारीरिक रूप से विकलांगों का आरक्षण एक प्रकार का क्षैतिज आरक्षण है-ओ. बी. सी. से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अलग से लाभ के हकदार हैं जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण से प्रवाहित होता है-क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण से अलग होने के

कारण, कोई भेदभाव नहीं पाया जा सकता है जब दोनों श्रेणियों के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए समान अवसर (यानी 7) मिलते हैं-एक शारीरिक रूप से विकलांग, चाहे वह सामान्य श्रेणी से हो या समान विकलांगता से पीड़ित ओ. बी. सी. से, छूट और रियायत बढ़ाने में समान व्यवहार करना पड़ता है-इसके अलावा; शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए क्षैतिज आरक्षण और छूट, सरकारी नीति का मामला होने के कारण, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है-सिविल सेवा परीक्षा नियम-आर 6-सेवा कानून-आरक्षण-न्यायिक समीक्षा।

न्यायिक समीक्षाः

नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा- का दायरा- अभिनिर्धारित किया: यह अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वे इस बारे में पूछताछ शुरू करें कि क्या कोई विशेष नीति स्वीकार्य है या क्या बेहतर नीति विकसित की जा सकती है-अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब नीति पूरी तरह से मज़बूत और कारणों से गैर-सूचित हो, या पूरी तरह से मनमाना हो, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता को आहत करती हो।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में राज्य दो प्रकार के आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 उपखंड (4) में दिए गए ऊर्ध्वाधर या सामाजिक आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण जो अनुच्छेद 16 उपखंड (1) के लिए संदर्भित है। शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत क्षैतिज आरक्षण के उदाहरण हैं। सिविल सेवा परीक्षा में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। [पारस 23 और 25] [148-ई-एफ; 149-ई]

इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217: [1992] 2 पूरक एस. सी. आर. 454-अनुसरण किया गया।

2. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण एक प्रकार का क्षैतिज आरक्षण है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो सामान्य, ओ. बी. सी., एस. सी./एस. टी. किसी भी श्रेणी से संबंधित हैं को आगे आने और मुख्यधारा में प्रतिस्पर्धा करने और सभी लाभों और विकास का आनंद लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। संसद ने उपरोक्त को लागू करने के उद्देश्य से 'विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया। [पैरा 30] [151-जी-एच]

भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 772: [2013] 9 एस. सी. आर. 1023-पर भरोसा किया। 3. सभी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को नियम 6 के अनुसार ऊपरी आयु में 10 साल की समान छूट दी गई है, इसके अलावा नियम 6 के नोट-1 के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट के अलावा, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा कुल मिलाकर आयु में छूट का लाभ लिया जा सकता है। [पैरा 28] [151-सी-डी]

4. नियम 4 के अंतिम उप नियम से संकेत मिलता है कि तीसरे परंतुक में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से संबंधित छूट का विषय है जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं। बशर्ते कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को उतने प्रयास मिलेंगे जितने उसके समुदाय के अन्य गैर-शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। उपरोक्त इस शर्त के अधीन है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सात प्रयासों के लिए पात्र होगा। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को ओ. बी. सी. से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की तुलना में समान मौका दिया गया है। किसी भी भेदभाव को पढ़ा नहीं जा सकता है, जब उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिए प्रयासों की संख्या को बराबर किया गया है जो की 7 है। [पैरा 29] [151-ई-एफ]

5. जब ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के प्रयासों को बराबर किया जाता है, और ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए 10 साल की छूट के अलावा 3 साल की अधिक आयु छूट भी मिलती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के बीच भेदभाव है। ओ. बी. सी. से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अलग से लाभ के लिए हकदार हैं जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण से प्रवाहित होता है, और क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण से अलग होने के कारण, कोई भेदभाव नहीं पाया जा सकता है जब उपरोक्त दोनों श्रेणियों के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए समान अवसर मिलता है। [पैरा 32] [152-ई-जी]

महेश गुप्ता और अन्य बनाम यशवंत कुमार अहिरवार और अन्य (2007) 8 एससीसी 621: [2007] 9 एससीआर 578-पर भरोसा किया।

6. वर्तमान मामला असमान लोगों को समान मानने का मामला नहीं है। यह जनरल के साथ-साथ ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित विकलांग उम्मीदवारों को रियायतें और छूट देने का मामला है। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी अपने आप में एक श्रेणी है, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है, चाहे वह सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का

शारीरिक रूप से विकलांग हो, समान विकलांगता से पीड़ित हो, उसे छूट और रियायतें देने में समान व्यवहार करना होगा। दोनों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 7 प्रयास प्रदान किए जाने के कारण, उपरोक्त परिदृश्य में कोई भेदभाव या मनमानापन नहीं पाया जा सकता है। [पैरा 37] [155-ई-एफ]

न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य (2014) एस. सी. सी. 383-पर भरोसा किया।

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217: [1992] 2 पूरक एससीआर 454-प्रतिष्ठित। अनामोल भंडारी (नाबालिग) अपने पिता/प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से बनाम दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2012 (131) डी. आर. जे. 583 -संदर्भित। 7. सिविल सेवा परीक्षा के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण और छूट सरकारी नीति का विषय है और सरकार ने प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद आरक्षित श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को छूट और रियायतें दी हैं। यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या बेहतर नीति विकसित की जा सकती है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमौजी और कारणों से गैर-सूचित हो, या पूरी

तरह से मनमाना हो, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करती हो। [पैरा 47] [160-एफ-जी]

एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा बनाम जी. बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्य (2003) 5 एससीसी 350: [2003] 2 एससीआर 781-पर भरोसा किया।

8. मई 2007 की विश्व बैंक की रिपोर्ट, प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा की गई, विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों, विभिन्न देशों में विकलांगता प्रसार दर और विभिन्न अन्य कारकों का एक विस्तृत आंकड़ा देती है जो इस न्यायालय के समक्ष मौजूद मुद्दों पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। अतः उपर्युक्त रिपोर्ट पर निर्भरता गलत है। [पैरा 46] [160-डी]

9. 22.04.2007 दिनांकित प्रेस नोट में भारत सरकार के उद्देश्य और नीति को स्पष्ट किया गया है, जिसे वह तैयार करने और लागू करने का हकदार है। पहुँच में सुधार और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के निर्णय का उल्लेख पहले पैराग्राफ में किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 7 प्रयास देने के सरकार के निर्णय पर ध्यान दिया गया, जबकि मौजूदा 4 प्रयास थे। इस प्रकार प्रेस नोट सरकार की नीति को दर्शाता है और उक्त नीति विवरण वर्तमान मामले में प्रतिवादी की किसी भी तरह से मदद नहीं करता है। [पैरा 50] [161-जी-एच; 162-ए]

केरल राज्य और अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 310: [1976] 1 एस. सी. आर. 906-संदर्भित।

मामला विधि संदर्भ

[1992] 2 पूरक एस. सी. आर. 454	अनुसरण किया गया	पैरा 18
[1976] 1 एस. सी. आर. 906	संदर्भित	पैरा 18
(2013) 9 एस. सी. आर. 1023	भरोसा किया	पैरा 18
(2014) एस सीसी 383	भरोसा किया	पैरा 18
[1992) 2 पूरक एस. सी. आर. 454.	विशिष्ट	पैरा 24
(2013) 9 एस. सी. आर. 1023	संदर्भित	पैरा 31
[2007] 9 एस. सी. आर. 578	भरोसा किया	पैरा 33
[2014) 4 एस. सी. आर. 113	संदर्भित	पैरा 37
2012 (131) डी. आर. जे. 583	संदर्भित	पैरा 40
(2003) 2 एस. सी. आर. 781	पर निर्भर	पैरा 48

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 858/2017

2010 की डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 18705 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2012 से।

के साथ

2017 की सी. ए. सं. 859 और 860

उपस्थित पक्षकारों के लिए वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, संयत लोढ़ा, सुश्री गुणवंत दारा, मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री बीनू टम्टा, राजन माटी, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, सत्य मित्रा, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि वे सिविल सेवा परीक्षा में 7 प्रयासों के बजाय 10 प्रयासों का लाभ उठाने के हकदार हैं। चुनौती इस आधार पर है कि चूंकि 2007 सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयास 4 से बढ़ाकर 7 कर दिए गए हैं, ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाले प्रयासों में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए।

3. 2017 की सी. ए. संख्या 858 @2013 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 21587 मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के

2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 18705 में एम. सेल्वाकुमार बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

4. 2017 की सी. ए. संख्या 859 @2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18420, संघ लोक सेवा आयोग बनाम तुषार केशोराव देशमुख और 2017 की सी. ए. संख्या 860 @2015 की एस. एल. पी. संख्या 25885। भारत संघ बनाम तुषार केशोराव देशमुख और एक अन्य को 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 7377 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उसी फैसले के खिलाफ दायर किया गया है।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13.10.2014 के फैसले में एम. सेल्वाकुमार के मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया है।

2017 का सीए संख्या 858 @2013 का एसएलपी (सी) 21587

6. उत्तरदाता एम. सेल्वाकुमार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) से संबंधित एक हड्डी रोग से भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति ने वर्ष 1998 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया। उत्तरदाता ने वर्ष 1998 से 2006 में आयोजित परीक्षा के बीच 7 प्रयास किए, लेकिन उसे उत्तीर्ण करने में विफल रहे।

7. 2007 की परीक्षा से पहले, सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार केवल 4 प्रयास करने के हकदार थे, जिन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को भी अनुमति दी गई थी, जबकि, ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर 7 प्रयास करने के हकदार थे। एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

8. केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा की भर्ती के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत है। दिनांक 29.12.2007 की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा नियम में एक शर्त जोड़कर संशोधन किया कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार 7 प्रयासों के लिए पात्र होंगे।

9. प्रत्यर्थी ने अपने 9वें प्रयास के लिए दिनांकित 29.12.2007 अधिसूचना के जवाब में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई थी, क्योंकि वह परीक्षा में अपने 7 प्रयासों को पहले ही समाप्त कर चुके थे। उत्तरदाता ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ के समक्ष 2008 की ओ. ए. सं. 905 दाखिल किया जो निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करता हैः

"(i) यह घोषित करना कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2008 के संबंध में रोजगार समाचार 29.12.2007-04.01.2008 संस्करण में

प्रकाशित अधिसूचना का खंड 3 (iv) अन्य पिछड़े वर्ग में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को तीन और अतिरिक्त प्रयास नहीं देने के अलावा भेदभावपूर्ण, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के मूल ढांचे का उल्लंघन है।

(ii) परिणामस्वरूप दूसरे प्रतिवादी को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदक को तीन और प्रयास करने का निर्देश दें। (iii) ऐसे अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायाधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे और लागत प्रदान करने और न्याय प्रदान करने के लिए।

इस आवेदन को भारत संघ द्वारा चुनौती दी गई थी।

10. न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 17.03.2010 के आदेश के माध्यम से आवेदन दायर करने में 883 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 24.01.2012 के आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए रिट याचिका की अनुमति दी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में प्रयासों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करना और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित शारीरिक रूप से

विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयास आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाना मनमाना है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता (वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी) आगे 3 और अवसरों का हकदार है। उक्त निर्णय से व्यथित भारत संघ ने 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 21587 दायर की है।

2017 का सी. ए. सं. 859 @ 2015 का एस. एल. पी. (सी) N0.18420 और 2017 का सी. ए. सं. 860 2015 का एस. एल. पी. (सी) N0.25885

11. उपरोक्त अपीलों में सामान्य प्रतिवादी ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित एक शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार है जिसने सिविल सेवा परीक्षा, 2012 के लिए आवेदन जमा किया था। हालाँकि, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए विस्तृत आवेदन पत्र जमा किया, तो संघ लोक सेवा आयोग ने यह देखते हुए कि वे परीक्षा में अपने 7 प्रयास पहले ही समाप्त कर चुके थे, एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया और 2012 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया। अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति से व्यथित उम्मीदवार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, दिल्ली में 2013 का ओ. ए. नंबर 930 दायर किया।

12. ओ. ए. को आयोग द्वारा यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आवेदक ने अपने आवेदन में अपने द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या का

सही उल्लेख नहीं किया था, और जांच के बाद यह पाया गया कि उसने परीक्षा में पहले ही 8 प्रयासों का लाभ उठाया था, जिससे उसकी श्रेणी के लिए अनुमेय अधिकतम प्रयास समाप्त हो गए थे, यानी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार जो ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित थे, जिससे उनकी उम्मीदवारी को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख साफ हाथों से नहीं किया था क्योंकि उसने अपने द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या का सही खुलासा नहीं किया था। तथ्यों को छिपाने और आवेदक के 2012 की परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होने के कारण, उनकी उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

13. न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 19.07.2013 के आदेश के माध्यम से ओ. ए. को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी ने 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 7377 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी। प्रत्यर्थी ने अपनी रिट याचिका में एम. सेल्वाकुमार (उपरोक्त) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक एम. सेल्वाकुमार मामले में कानून की घोषणा बनी हुई है, तब तक न्यायाधिकरण को इसका पालन करना चाहिए था। एम. सेल्वाकुमार के फैसले के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और कहा कि ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के

मामले में, शारीरिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों और विकलांग उम्मीदवारों दोनों के लिए 7 प्रयासों की अनुमति भेदभावपूर्ण है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को दरकिनार कर दिया और परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया और यदि याचिकाकर्ता सफल पाया गया, तो नियुक्ति के लिए उसके दावे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

14. संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 13.10.2014 के उपरोक्त फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की और 08.07.2015 पर इस अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के संचालन पर रोक लगा दी।

15. हमने अपीलार्थियों की ओर से श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सन्यत लोढ़ा, सुश्री गुणवंत दारा और श्री मुकेश कुमार मरोरिया और प्रत्यर्थियों की ओर से श्री राजनमणि, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता और श्री सत्य मित्रा को सुना है।

16. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, कि भेदभाव है, क्योंकि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुमत प्रयासों को समान बनाया गया है, गलत है। यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग

दोनों के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा नियमों के अनुसार 7 अवसरों के हकदार हैं। दोनों अपीलों में उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी उनके 7 अनुमेय प्रयासों को समाप्त करने के बाद, सही ढंग से खारिज कर दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने हालांकि सिविल सेवा परीक्षा नियम को रद्द नहीं किया था, लेकिन निर्देश दिया था कि ओ. बी. सी. से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को गलत आधार पर 3 अतिरिक्त प्रयास दिए जाने चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों को दी गई छूट भारत संघ के लिए नीति का विषय है और उक्त नीति में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय को नियमों के विपरीत कुछ निर्देश देकर सिविल सेवा परीक्षा नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2007 की परीक्षा के बाद, सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयास बढ़ाकर 7 कर दिया गया था, जो कि ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के बराबर है। न तो कोई भेदभाव है और न ही कोई मनमानी।

17. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सिविल सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या में 3 और प्रयासों की वृद्धि की है।

ओ. बी. सी. श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को भी 3 और प्रयासों की उपरोक्त वृद्धि दी जानी चाहिए थी। खुली श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रयासों की संख्या की तुलना ओ. बी. सी. श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रयासों की संख्या के साथ करते हुए, सरकार असमान लोगों के साथ समान व्यवहार कर रही है जो अनुच्छेद 14 और 16 (1) के तहत निषिद्ध है।

18. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने अपने पिता/प्राकृतिक संरक्षक बनाम दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 4853 अनामोल भंडारी (नाबालिग) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और इस न्यायालय के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992, (3) एस. सी. सी. 217, केरल राज्य और अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 310, भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 772 और न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य (2014) एस. सी. सी. 383 में इस न्यायालय ने निर्णय लिया है।। विद्वान वकील ने भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 27 अप्रैल, 2007 के प्रेस नोट के साथ-साथ विश्व बैंक द्वारा जारी मई 2007 की रिपोर्ट "भारत में विकलांग लोग..... प्रतिबद्धताओं से लेकर परिणामों तक" पर भी भरोसा किया है। 19. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील

की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की संबंधित प्रस्तुतियों पर आगे बढ़ें, सिविल सेवा परीक्षा नियमों का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मामले में प्रत्यर्थी 2008 की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में प्रत्यर्थी 2012 की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, जिसमें उनकी संबंधित उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अधिकतम अनुमेय प्रयासों यानी 7 को पूरा कर लिया है।

20. 2008 की परीक्षा के संचालन के लिए 2013 की एसएलपी (सी) 21587 के अनुलग्नक ए पी-1 के रूप में अधिसूचना दिनांक 29.12.2007 दाखिल की गई है। प्रयासों की संख्या से संबंधित पैरा 4 इस प्रकार हैः

"4. परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार जो अन्यथा पात्र हैं, उन्हें परीक्षा में चार बार प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि प्रयासों की संख्या पर यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं होगा जो अन्यथा पात्र हैंः

बशर्ते कि अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुमेय प्रयासों की संख्या, जो अन्यथा पात्र हैं, सात होगी। छूट उन उम्मीदवारों के लिए

उपलब्ध होगी जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं।

बशर्ते कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने समुदाय के अन्य गैर-शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए जितने प्रयास उपलब्ध हों उतने प्रयास मिलेंगे, बशर्ते कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सात प्रयासों के लिए पात्र हो। छूट शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं।

21. एक अन्य नियम जो यहाँ प्रासंगिक है वह नियम 6 है। नियम 6 (ए) में प्रावधान है कि उम्मीदवार ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए और 1 अगस्त को 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।

नियम 6 (ए) -उम्मीदवार ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए और 1 अगस्त 2008 को 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। उनका जन्म 2 अगस्त, 1978 से पहले और 1 अगस्त, 1987 के बाद नहीं हुआ होगा।

नियम 6 (बी) में ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। नियम 6 (बी) (i), (ii) और (vii) नोट एक के साथ जो प्रासंगिक है, नीचे उद्धृत किया गया हैः

"6 (बी) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगीः

(i) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो अधिकतम पांच साल तक;

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन साल तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं;

(vii) नेत्रहीन, मूक बधिर और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक,

नोट 1-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जो उपरोक्त नियम 6 (बी) के किसी अन्य खंड के तहत भी आते हैं, अर्थात् पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत आने वाले, जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवासित व्यक्ति, नेत्रहीन, मूक-बधिर और अस्थि विकलांग आदि दोनों श्रेणियों के तहत संचयी आयु छूट देने के पात्र होंगे।

22. 2008 की परीक्षा के लिए ऊपर निकाले गए नियम सिविल सेवा परीक्षा 2012 के संबंध में समान हैं जैसा कि 2015 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18420 में दर्ज की गई अधिसूचना से पता चलता है। 2008 की परीक्षा के लिए नियम का संदर्भ, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, इस मुद्दे को तय करने के लिए पर्याप्त होगा।

23. संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में

राज्य दो प्रकार के आरक्षण प्रदान करता है अर्थात अनुच्छेद 16 उपखंड (4) में दिए गए ऊर्ध्वाधर या सामाजिक आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण जो अनुच्छेद 16 उपखंड (1) के लिए संदर्भित है। संविधान के अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के उदाहरण हैं।

24. इंद्र शॉनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217 मामले में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण की दोनों अवधारणाओं पर विस्तार से विचार किया था। उक्त निर्णय के पैरा 812 में न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने दोनों प्रकार के आरक्षण का उल्लेख किया है। यह माना गया था कि क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करते हैं। निम्नलिखित कथन किया गया थाः

"812. दो प्रकार के आरक्षण हैं, जो हो सकते हैं; सुविधा के लिए, 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' के रूप में संदर्भित किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण (अनुच्छेद 16 (4) के तहत) को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक रूप से विकलांगों के पक्ष में आरक्षण (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत) को क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटते हैं-जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित एक आरक्षण होगा। इस कोटे के खिलाफ चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा। यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा। इसी तरह, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत बना हुआ है-और बना रहना चाहिए। इस तरह से कई राज्यों में इन आरक्षणों पर काम किया जाता है और उस प्रक्रिया को जारी नहीं रखने का कोई कारण नहीं है।

25. हमारे सामने वर्तमान मामले में, आरक्षण की दूसरी श्रेणी यानी क्षैतिज आरक्षण जो शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रदान किया जाता है, केंद्र में है। सिविल सेवा परीक्षा में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) के लिए आरक्षण, जो पदों की संख्या के संबंध में सिविल सेवा परीक्षा में प्रदान किया गया है, मुद्दा नहीं है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण की सामग्री क्या है, विचार के लिए है। विशेष रूप से, क्या सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संदर्भ में सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या को बढ़ाकर 7 करने और अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से

विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या को 7 से आगे नहीं बढ़ाने के संबंध में छूट देने में, संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभाव या उल्लंघन है, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।

26. सिविल सेवा परीक्षा के नियमों से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रयासों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित परिणाम स्पष्ट हैः

"(i) परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार, जो अन्यथा पात्र है, को परीक्षा में 4 बार प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी

(ii) नियमों का पहला परंतुक यह प्रदान करता है कि एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में प्रयासों की संख्या का प्रतिबंध लागू नहीं होगा

(iii) नियम का दूसरा परंतुक यह प्रदान करता है कि अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अनुमत प्रयास 7 होंगे।

(iv) नियम का तीसरा परंतुक यह प्रदान करता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने समुदाय के अन्य गैर-शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए जितने प्रयास उपलब्ध हैं उतने प्रयास मिलेंगे, बशर्ते कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार 7 प्रयासों के लिए पात्र होगा।

27. उत्तरदाताओं के तर्कों का मुख्य आधार यह है कि 2007 की सिविल सेवा परीक्षा से पहले, शारीरिक रूप से विकलांग सहित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या केवल 4 थी और केवल

2007 में ही सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई थी। और चूंकि ओ. बी. सी. के शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिए प्रतिवादी को अनुदान मनमाना और भेदभावपूर्ण है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस मोड़ पर, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को अनुमति देने के लिए दिए गए कारणों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। फैसले के पैरा 6 और 7 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

"6. जब सामान्य श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में प्रयासों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गई है और जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में प्रयासों की संख्या को सात तक सीमित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसलिए हमारा मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सात प्रयासों की संख्या, सामान्य श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को दिए गए प्रयासों की संख्या के अनुपात में नहीं है।

"7. इस मामले में सामान्य श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में प्रयासों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गई है। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में प्रयासों की संख्या आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाई गई है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के हित के लिए मनमाना और प्रतिकूल है।

28. क्या वास्तव में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों, सामान्य श्रेणी और ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराए गए प्रयासों की संख्या में कोई भेदभाव है, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। सभी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को नियम 6 के अनुसार ऊपरी आयु में 10 साल की समान छूट दी गई है, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, नियम 6 के नोट-1 के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट के अलावा, आयु छूट का लाभ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा संचयी रूप से लिया जा सकता है।

29. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है नियम 4 का अंतिम उप नियम इंगित करता है कि तीसरे परंतुक में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से संबंधित छूट का विषय है जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं, बशर्ते कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को उतने प्रयास मिलेंगे जितने उनके समुदाय के अन्य गैर-

शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। उपरोक्त इस शर्त के अधीन है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सात प्रयासों के लिए पात्र होगाः इस प्रकार, सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को ओ. बी. सी. से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की तुलना में समान मौका दिया गया है। किसी भी भेदभाव को पढ़ा नहीं जा सकता है, जब उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिए प्रयासों की संख्या को बराबर किया गया है जो की 7 है। एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या उनकी अधिकतम आयु सीमा के भीतर असीमित है जिसके संबंध में कोई चुनौती नहीं है।

30. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण एक प्रकार का क्षैतिज आरक्षण है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। जैसा कि स्वीकार किया गया है, किसी भी श्रेणी अर्थात सामान्य**,** ओ. बी. सी., एस. सी./एस. टी. से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आगे आने और मुख्यधारा में प्रतिस्पर्धा करने और सभी लाभों और विकास का आनंद लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। संसद ने उपरोक्त को लागू करने के उद्देश्य से 'विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995' लागू किया।

31. इस न्यायालय ने बार-बार अपने सभी नागरिकों के समग्र विकास की अनुमति देने के लिए राज्य के दायित्व पर ध्यान दिया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो विकलांग हैं। विकलांग व्यक्तियों को

सार्वजनिक रोजगार का लाभ उठाने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड अदर (2013) 10 एस. सी. सी. 772 में इस अदालत ने पैरा 23 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

"23. एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत अपने नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का जीवन जीने में सक्षम हैं। हमारे देश में दिव्यांग नागरिकों के लिए समानता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की जड़ों का पता संविधान के भाग III और भाग IV में लगाया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए, बदलती दुनिया तकनीकी प्रगति के कारण अधिक नए अवसर प्रदान करती है, हालाँकि, वास्तविक सीमाएँ केवल तभी सामने आती हैं जब उन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसलिए, उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर समाज में लाना समय की आवश्यकता है।"

32. जब ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के प्रयासों को बराबर किया जाता है, और ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए 10 साल की छूट के अलावा 3 साल की अधिक आयु छूट

भी मिलती है, तो हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते हैं कि ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के बीच भेदभाव है। ओ. बी. सी. से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अलग से उस लाभ के लिए हकदार हैं जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण से आता है, और क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण से अलग होने के कारण, कोई भेदभाव नहीं पाया जा सकता है जब उपरोक्त दोनों श्रेणियों के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए समान अवसर मिलता है।

33. इस संदर्भ में, महेश गुप्ता और अन्य बनाम यशवंत कुमार अहिरवार और अन्य (2007) 8 एस. सी. सी. 621 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ अनुचित नहीं होगा।

34. मध्य प्रदेश राज्य ने कई पदों पर विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया। सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग अपीलार्थियों का चयन किया गया। उत्तरदाता नं. 1, आरक्षित श्रेणी से संबंधित एक विकलांग व्यक्ति ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चयन को चुनौती दी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दावे को खारिज कर दिया। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया कि क्या पदों को एसटी श्रेणी के सदस्यों या केवल एससी श्रेणी के सदस्यों

या ओ. बी. सी. श्रेणी के सदस्यों से भरा जाना था या ये पद ऊपर उल्लिखित सभी श्रेणियों के लिए थे। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अपीलार्थियों को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया और बाद में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। उपरोक्त संदर्भ में यह न्यायालय ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षणों पर विचार करने आया। इस न्यायालय द्वारा पैरा 10,11 और 12 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में राज्य दो प्रकार के आरक्षण बना सकता है-ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अनुच्छेद 16 (4) ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करता है; जबकि अनुच्छेद 16 का खंड (1) क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। 11. राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया। इसलिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना था। परिपत्र पत्र केवल उक्त उद्देश्य के लिए जारी किया गया था। 29.3.1993 दिनांकित उक्त परिपत्र पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य ने नेत्रहीनों के लिए 3 प्रतिशत और अन्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण दिया था। संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के भीतर आने वाले ऐसे आरक्षण का उस उद्देश्य और मकसद से कोई लेना-देना नहीं है जिसे उसके खंड (4) के कारण प्राप्त किया जाना चाहिए।

12. अक्षमता ने विश्वव्यापी समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए, राज्य ने अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए क्षैतिज आरक्षण रखने का नीतिगत निर्णय लिया। विकलांग व्यक्ति विकलांग होता है। जाति, पंथ या धर्म के आधार पर आगे कोई आरक्षण देने का सवाल आमतौर पर नहीं उठ सकता है। वे एक विशेष वर्ग का गठन करते हैं। विज्ञापन, हालांकि, शुरुआत में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में उल्लेख करने में विफल रहा, लेकिन जैसा कि पहले देखा गया है, रिक्त पदों को उम्मीदवारों की दो श्रेणियों के लिए भरा जाना आवश्यक था; एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए और दूसरा विकलांग उम्मीदवारों के लिए। विकलांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(हमारे द्वारा रेखांकित)

35. अपील को स्वीकार कर लिया गया और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों, जिन्हें सामान्य श्रेणी से चुना गया था और बाद में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, उन्हें सेवा में बने रहने का निर्देश दिया गया था।

36. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को अब केवल 7 प्रयासों की अनुमति है जो ओ. बी. सी. श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के बराबर है, इसलिए शारीरिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से सक्षम ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करनी होती है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले असमान लोगों के बीच समानता है। तर्क का एक अन्य अंग यह है कि सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और शारीरिक रूप से विकलांग ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों को समान प्रयासों की अनुमति दी गई है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए असमान लोगों को समान मानने के अलावा और कुछ नहीं है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 14 द्वारा विचार की गई समानता केवल तब नहीं होती है जब समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, बल्कि तब भी होती है जब असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इसके विपरीत, जब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो कानून के समक्ष समानता के जनादेश का उल्लंघन होता है। उन्होंने पैरा 415 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया हैः

"415: अब इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 14 और संविधान के अनुच्छेद 15 (1), 16 (1), 29 (2) और

38 (2) सहित अन्य संज्ञानात्मक अनुच्छेदों द्वारा परिकल्पित समानता न केवल तब सुनिश्चित की जाती है जब समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, बल्कि तब भी जब असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है।

इसके विपरीत, जब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो कानून के समक्ष समानता के जनादेश का उल्लंघन होता है। इसलिए, असमानताओं के बीच समानता लाने के लिए, असमानता को समाप्त करने के लिए सकारात्मक उपाय अपनाना आवश्यक है। बराबरी के उपायों को उन्हीं उपकरणों का उपयोग करना होगा जिनके द्वारा असमानता को पेश किया गया था और बनाए रखा गया था। अन्यथा, समानता असमानों की नहीं होगी। अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है; संविधान में किसी अन्य प्रावधान के बिना, इस तरह के बराबरी के उपायों को मान्य करने के लिए पर्याप्त हो। हालाँकि, संविधान के संस्थापकों ने एक अन्य प्रावधान को शामिल करने की सलाह दी, अर्थात, अनुच्छेद 16 विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। इसके अलावा, उन्होंने (4) में इस बात पर जोर दिया कि राज्य के तहत सेवाओं में रोजगार के अवसरों को बराबर करने के लिए, राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए सकारात्मक उपाय अपना सकता है, जो राज्य की राय में ऐसी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं

है। अंतर्दृष्टि से, प्रावधान को विशेष रूप से बनाने में दिखाई गई दूरदर्शिता, इसे केवल अमेरिकी संविधान के तहत समानता के प्रावधान पर छोड़ने के बजाय, पुष्टि से अधिक है।"

37. वर्तमान मामला असमान लोगों को समान मानने का मामला नहीं है। यह सामान्य श्रेणी के साथ-साथ ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को रियायत और छूट देने का मामला है। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी अपने आप में एक श्रेणी है, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है, चाहे वह सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का शारीरिक रूप से विकलांग हो, समान विकलांगता से पीड़ित हो, उसे छूट और रियायतें देने में समान व्यवहार करना होगा। दोनों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 7 प्रयास प्रदान किए जाने के कारण, उपरोक्त परिदृश्य में कोई भेदभाव या मनमानेपन नहीं पाया जा सकता है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 14 धारा 383 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

38. उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता, एक धर्मार्थ न्यास आया, जिसने रिट याचिका में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश मांगे। अदालत के आदेश के तहत, विभिन्न राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों के विकलांग व्यक्तियों के आयुक्तों को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। अदालत ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों में 5 प्रतिशत की छूट का लाभ, जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और अन्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा रहा था, व्यक्तियों के बीच समानता लाने के लिए सामान्य रूप से सभी विकलांगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बराबर दिया गया है। फैसले के पैरा 6 में जवाबी हलफनामे के पैरा 8 को उद्धृत किया गया था जो इस प्रकार हैः

"8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और अन्य दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी मामले में यू. जी. सी. द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में बैठने के लिए स्नात्कोतर स्तर पर प्राप्त अंकों में 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और सामान्य रूप से सभी विकलांगों को एससी और एसटी विकलांगों के बराबर समान छूट देने से सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के बावजूद समानता आएगी।

39. इस अदालत ने उपरोक्त जवाबी हलफनामे को ध्यान में रखते हुए यू. जी. सी. के निर्देश को ध्यान में रखते हुए मामले को बंद कर दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि 5 प्रतिशत की छूट जो

पहले केवल नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित अन्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थी, सभी विकलांगों को दी गई थी, जिसे सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच समानता लाने वाली कार्रवाई के रूप में माना गया था। उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से उत्तरदाताओं की मदद नहीं करता है।

40. अब अनामोल भंडारी (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर आते हुए, उपरोक्त मामले में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम पात्रता में अंकों की रियायत का 10 प्रतिशत प्रदान किया है, जबकि विकलांग लोगों के लिए केवल 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति थी। याचिकाकर्ता, जो शारीरिक रूप से विकलांग था, ने केवल 52.66% अंक प्राप्त किए थे और प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वह केवल 5 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र था और कम से कम 55.00% अंक होना आवश्यक था। याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दी गई छूट को बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई, 2007 की विश्व बैंक की रिपोर्ट 'भारत में विकलांग लोग.. प्रतिबद्धता से परिणाम तक' का भी उल्लेख किया।

41. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1998 की रिट याचिका संख्या 116 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसका शीर्षक ए. आई. कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड अदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर है, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को उसी छूट का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है जिसे एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पैरा 19 इस प्रकार हैः

19. "यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि पीडब्ल्यूडी लोगों को अंकों में छूट का मुद्दा डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 116/1998 शीर्षक ए. आई. कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड और अन्य बनाम यू. ओ. आई. और अन्य (19.03.2002 को तय)में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इसमें पाया गया कि उस याचिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत तक आंशिक रूप से नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को छूट दी गई थी।

इस मामले का अध्ययन सरकार द्वारा किया गया था जिसने जवाबी हलफनामा दायर किया था जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों के समान दृष्टिबाधित विकलांग व्यक्तियों को लाभ देने पर सहमति व्यक्त की गई थी। उक्त याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.3.2002 के आदेश में, जवाबी हलफनामे का प्रासंगिक हिस्सा निकाला गया था

क्योंकि उस याचिका में भारत संघ का यह रुख था, हम इसे यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

.....3. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसरण में, उपयुक्त सरकार (भारत सरकार) ने चिन्हित पदों की सूची को अद्यतन किया है। यह सूची असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या 178 दिनांक 30.6.2001 के माध्यम से जारी की गई है। इस सूची में नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय शिक्षक के पदों को क्र. सं. 24-27 पृष्ठ संख्या 592 में सूचीबद्ध किया गया है।

6. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जूनियर रिसर्च फैलोशिप और लेक्चरशिप के लिए एन. ई. टी. में उपस्थित होने के लिए कट-ऑफ अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देकर प्रदान की गई व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया है। इस प्रकार, यू. जी. सी. द्वारा विस्तारित व्यवस्था न्यूनतम मानक में छूट के संबंध में भारत सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत रुख के अनुरूप है। मानकों में छूट केवल तभी दी गई है जब आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार सामान्य मानक के आधार पर उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों तक उपलब्ध न हों।

7. विश्वविद्यालयों के मानक 1998 के रखरखाव के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी गई छूट,

मास्टर डिग्री पर प्राप्त अंकों में 5 प्रतिशत की छूट 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्रदान करती है। चूंकि विकलांगों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जैसी सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में आता है। इसलिए, ऐसे सभी नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऊर्ध्वाधर श्रेणी से संबंधित थे, वे स्वचालित रूप से मास्टर डिग्री स्तर पर प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंकों पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएंगे। इस प्रकार, केवल ओ. बी. सी. और सामान्य श्रेणियों से संबंधित नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोग ही परास्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट से वंचित हैं।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और अन्य दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी मामले में यू. जी. सी. द्वारा आयोजित एन. ई. टी. परीक्षा में बैठने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों में 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले और सामान्य रूप से एससी और एसटी विकलांगों के बराबर सभी विकलांगों को समान छूट देने से सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच उनकी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के बावजूद समानता आएगी।

42. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के उपरोक्त रुख का हवाला देते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत की छूट के विपरीत शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को अंकों में 5 प्रतिशत की रियायत भेदभावपूर्ण है और विकलांग उम्मीदवार भी उसी छूट के हकदार हैं। उपरोक्त मामला अपने आप में तथ्य था। वर्तमान मामला ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार एससी/एसटी उम्मीदवारों को दी गई छूट के साथ किसी भी समानता का दावा कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने अपने दावे को इस आधार पर आधारित किया है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के प्रयासों को 4 से बढ़ाकर 7 करने के बाद, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के प्रयासों को आनुपातिक रूप से 7 से बढ़ाकर 10 करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

43. अब दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर आते हैं, जिसे पिछली दो अपीलों में चुनौती दी गई है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एम. सेल्वाकुमार के मामले (उपरोक्त) पर भरोसा किया है और उक्त फैसले के पैराग्राफ संख्या 6 और 7 पर भरोसा किया है।

44. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अनामोल भंडारी (उपरोक्त) के अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पैरा 11 जो प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

"11. इस न्यायालय की राय है कि जब तक एम सेल्वाकुमार (उपरोक्त) में कानून की घोषणा कायम है और इसे दरकिनार नहीं किया गया है, तब तक CAT को इसका पालन करना चाहिए था। एम सेल्वाकुमार (उपरोक्त) के विपरीत किसी भी नियम या निर्णय पर यूपीएससी द्वारा भरोसा नहीं किया गया था। इस न्यायालय को भी एम. सेल्वाकुमार (उपरोक्त) से अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस संदर्भ में अनामोल (उपरोक्त) में यह तर्क दिया गया है कि विकलांग व्यक्ति आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी) कर्मियों के समान और बराबर नुकसान के तहत काम करते हैं। अनामोल (उपरोक्त) में, न्यायालय ने व्यापक रूप से अनुभवजन्य आंकड़ों पर भरोसा किया था, जैसे कि अध्ययन और आधिकारिक रूप से प्रायोजित शोध पत्र, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि रियायतें देते समय, विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के बीच समीकरण उचित होगा और इसके लिए कहा जाएगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने जो समीकरण मांगा था, वह 2007 के उत्तरदाताओं के सामान्य श्रेणी के विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या में तीन की वृद्धि करने के निर्णय के आलोक में था। इस तरह की राहत का लाभ, यानी विकलांग सामान्य

उम्मीदवारों के मामले में तीन प्रयासों की वृद्धि के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां ओ. बी. सी. श्रेणी के विकलांग उम्मीदवार भी सात प्रयासों तक सीमित हैं। इसके अलावा, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जो विकलांग नहीं हैं, उन्हें चार बार प्रयास करने की अनुमति है। एससी/एसटी के मामले में, प्रयासों की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के मामले में, शारीरिक रूप से स्वस्थ उम्मीदवारों और विकलांग उम्मीदवारों दोनों के लिए अनुमत प्रयासों की संख्या सात है। इन परिस्थितियों में, इस समीकरण को एम सेल्वाकुमार (उपरोक्त) द्वारा भेदभावपूर्ण माना गया था, जिसने तीन प्रयासों की वृद्धि का निर्देश दिया।

45. जैसा कि उल्लेख किया गया है, हम पहले ही देख चुके हैं कि एम. सेल्वाकुमार में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क निराधार था। एक बार जब एम. सेल्वाकुमार का निर्णय गलत आधार पर पाया जाता है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय टिक नहीं सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनामोल भंडारी (ऊपर) पर निर्भरता भी उचित नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि 2007 की परीक्षा से सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करना और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से

विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या को आनुपातिक रूप से 7 से बढ़ाकर 10 नहीं करना, भेदभावपूर्ण और मनमाना है।

46. प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा की गई मई 2007 की विश्व बैंक की रिपोर्ट भी उस मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं है जो हमारे सामने विचार के लिए आया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनामोल (उपरोक्त) में अपने फैसले में भी संदर्भित किया है, विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न देशों में विकलांगता की व्यापकता दर और विभिन्न अन्य कारकों का विस्तृत आंकड़ा देती है जो हमारे सामने आने वाले मुद्दों पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। इसलिए, उपर्युक्त रिपोर्ट पर निर्भरता गलत है।

47. एक और कारण है जिसके कारण हम मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण और छूट सरकारी नीति का विषय है और सरकार ने प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद आरक्षित श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को छूट और रियायतें दी हैं। यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या बेहतर नीति विकसित की जा सकती है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से

मनमौजी और कारणों से गैर-सूचित हो, या पूरी तरह से मनमाना हो, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करती हो।

48. एन. टी. आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा बनाम जी. बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 350 के मामले में इस अदालत ने कहा है कि आरक्षण कैसे और किस तरीके से दिया जाता है, इसे राज्य के लिए नीतिगत निर्णय का विषय बनाया जाना चाहिए। इस तरह के नीतिगत निर्णय को आम तौर पर चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त निर्णय के पैरा 13 में निम्नलिखित कहा गया हैः

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सक्षम प्रावधानों का प्रावधान है। इसके कारण राज्य को या तो नीतिगत निर्णय लेने या आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। आरक्षण कैसे और किस तरीके से दिया जाना चाहिए, यह राज्य के नीतिगत निर्णय का विषय है। इस तरह के नीतिगत निर्णय को आम तौर पर चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा, बशर्ते इसकी तर्कसंगतता की कसौटी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-डी के संदर्भ में बनाए गए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकताओं को भी पारित किया जाए।

49. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांकित 27.04.2007 प्रेस नोट पर भी भरोसा किया है। उनका तर्क है कि प्रेस नोट सिविल सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहुंच में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किया गया

था। प्रेस नोट के पहले दो पैराग्राफ का उल्लेख करना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैंः

"केंद्र सरकार के तहत सिविल सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहुंच में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को, जो उसकी श्रेणी के गैर-विकलांग उम्मीदवार के लिए लागू मानकों पर चुना जाता है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे के ऊपर और ऊपर गिना जाएगा। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे एससी/एसटी/ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के साथ होता है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति मौजूदा चार प्रयासों के बजाय सात प्रयासों के लिए पात्र होंगे। ओ. बी. सी. श्रेणी और एस. सी./एस. टी. श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति क्रमशः सात और असीमित प्रयासों के लिए पात्र बने रहेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की अतिरिक्त छूट जारी रखी जाएगी।

50. उपरोक्त टिप्पणी में भारत सरकार के उद्देश्य और नीति को स्पष्ट किया गया है, जिसे वह तैयार करने और लागू करने का हकदार है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहुंच में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के निर्णय का उल्लेख पहले पैराग्राफ में किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में सामान्य श्रेणी से संबंधित

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 7 प्रयास देने के सरकार के निर्णय पर ध्यान दिया गया, जबकि मौजूदा 4 प्रयास थे। इस प्रकार दिनांकित 27.4.2007 का प्रेस नोट सरकार की नीति को दर्शाता है और उक्त नीति विवरण वर्तमान मामले में प्रतिवादी की किसी भी तरह से मदद नहीं करता है।

51. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों प्रकार की अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। एम. सेल्वाकुमार बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.1.2012 के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह, पिछली दो अपीलों में विवादित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2014 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। सभी अपीलों की अनुमति है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।